राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अनित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42/23	11.08.23	29.11.24

बउनवान

गोपाल मीना पुत्र नरदाना मीना आयु 40 वर्ष निवासी गढ हिम्मतसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

...अप्रार्थी

उपस्थित : श्री प्रदीप चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टीकरी किलानोत पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.47 हैक्टे. चाही व जाव, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.54 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजी के सटवा में ही अन्य खातेदारों की आराजी है। प्रार्थी ने उक्त आराजी का सीमाज्ञान किये जाने हेतु तहसीलदार मण्डावर के समक्ष दिनांक 08.06.23 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा टीम गठित कर उक्त आराजीयात का विभाग के पटवारियों द्वारा मौके पर पहुंच कर दिनांक 12.06.23 को पैमाईश/सीमाज्ञान कर मौके पर निशानात लगाये। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12.06.23 के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में अप्रार्थी की तरफ लगने वाली आराजीयात की पत्थरगढी करवाने हेतु उचित आदेश करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी तहसीलदार मंडावर के द्वारा जवाब में दिनांक 25.07.24 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बरान 150,162 कुल किता 02 रकबा 1.01 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम टिकरी किलानौत तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 (आनलाईन जमाबन्दी) के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी गोपाल पुत्र नरदाना जाति मीना निवासी गढहिम्मतसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के सीमाज्ञान आवेदन पर प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि का कार्यालय तहसील मण्डावर के आदेश पृष्ठ संख्या 23 क्रमांक 28 दिनांक 08.06.23 के द्वारा गठित राजस्व टीम ने दिनांक 12.06.23 को मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाकर निशानात लगायें गये। उक्त भूमि के पत्थरगढी आदेश राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान के उपरान्त लगाये गये निशानात के आधार पर किया जाना उचित है जिसके पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का, अप्रार्थी का जवाब/रिपोर्ट एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम टीकरी किलानोत पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.47 हैक्टे. चाही व जाव, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.54 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. का प्रार्थी एकल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

की उक्त आराजीयात का तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनांक 12.06.23 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। अप्रार्थी तहसीलदार मंडावर के द्वारा भी जवाब में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.23 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने पर आपत्ति नहीं की है। इसलिये प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम टीकरी किलानोत पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 150 रकबा 0.47 हैक्टे. व खसरा नम्बर 162 रकबा 0.54 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक मण्डावर को 1500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक मण्डावर मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner